न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट-ट्रेक) डीग

प्रकरण संख्याः- 291/2014 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2014/00019), पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. लाल सिंह
2. हुकम सिंह
3. हेतराम

पुत्रगण खिल्लू जातियान जाटव नि0 ग्राम बेढम तहसील व जिला डीग(राज0)

-वादीगण

बनाम

1. किशन सिंह -मृतक
1/1. तेजपाल पुत्र किशन सिंह
1/2. राणेन्द्र सिंह पुत्र मोहन श्याम पुत्र किशन सिंह
2. गोविन्दराम पुत्र खूबी
3. चेतराम पुत्र खूबी
4. प्रताप पुत्र नत्थी
5. जहारिया
6. रामस्वरूप पिस0 श्यामचरण
7. ओमवती पत्नी रामस्वरूप

जातियान फौजदार नि0 ग्राम बेढम तहसील व जिला डीग(राज0)

8. तहसीलदार तहसील डीग
9. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा डीग
10. शाखा प्रबंधक,अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा डीग

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88-89 व 188आर.टी.एक्ट,

**निर्णय** दिनांकः 01.04.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 2316/0.24, 2360/0.71, 2365/0.30, वाके ग्राम बेढम तहसील डीग में स्थित है। तहसील डीग में सम्बत 2030-40 के मध्य बन्दोवस्त हुआ था,दौराने बन्दोवस्त बन्दोवस्त विभाग ने वादीगण की हाल आराजी खसरा नम्बरान 2366/0.26, 2367/0.31, 2374/0.32, 2375/0.26, जोकि साविक खसरा नम्बर 2091/1-16, 2092/2-0, 2093/2-4, 2094/1-18 से बनाये गये व इसी प्रकार प्रति0 संख्या 01 लगायत 03 के खसरा नम्बर 2316 जोकि साविक खसरा नम्बर 2056 से बनाना दर्शाया है। प्रति0 संख्या 4 का हाल खसरा नम्बर 2360/0.71



उपखण्ड अ...
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

है जोकि साविक खसरा नम्बर 2083 से बनना दर्शाया है व प्रति0 संख्या 5 लगायत 7 का हाल खसरा नम्बर 2365 है जोकि साविक खसरा नम्बर 2090 से बनना दर्शाया है। हाल खसरा नम्बर का प्रति0 संख्या 5 लगायत 7 ने बंटवारा कर लिया है जिसमें से प्रति0 संख्या 5 के हिस्से में 0.10 प्रति0 संख्या 6 के हिस्से में 0.14, प्रति0 संख्या 7 के के हिस्से में 0.06 हैक्टे0 रकबा आया है। इस प्रकार दौराने बन्दोवस्त विभागन की गलती से वादीगण के हाल आराजी खसरा नम्बरान 2366, 2367, 2374, 2375 का कुल रकबा साविक के मुकाबले 12 ऐअर कम कर दिया है। वादीगण के हाल खसरा नम्बरान की बगल में चिपटेमा प्रति0 संख्या 1 लगायत 3 के हाल खसरा नम्बर 2316/0.24 में रकबा 0.02 हैक्टे0 अधिक दर्ज आया है व इसी प्रकार प्रति0 संख्या 4 के खसरा नम्बर 2360/0.71 में रकबा 0.08 हैक्टे0 अधिक दर्ज कर दिया है व इसी प्रकार प्रति0 संख्या 5 लगायत 7 के खसरा नम्बर 2365/0.10, 2365/2/0.14 व 2365/3/0.06 में कुल 0.30 हैक्टे0 रकबा यानि प्रति0 संख्या 5,6,7 में कुल 3 ऐअर रकबा अधिक दर्ज कर दिया है। इस प्रकार बन्दोवस्त विभाग ने गलत रूप से वादीगण के हाल खसरा नम्बर 2366/0.26 को 0.03 व 2367/0.31 को 0.01 व खसरा नम्बर 2374/0.32 को 0.03 व 2375/0.20 को 0.04 ऐअर कम दर्ज कर दिया है। यानि कुल आराजी खसरा नम्बरान को लगभग 12 ऐअर साबिक के मुकावले कम दर्ज किया है व प्रति0 संख्या 1 लगायत 3 के हाल खसरा नम्बर 2316/0.29 में 0.02 ऐअर रकबा व प्रति0 संख्या 4 के हाल खसरा नम्बर 2360/0.71 में रकबा 0.08 ऐअर व 2365/1/0.10 में 1 ऐअर रकबा प्रति0 संख्या 5 के हिस्से में प्रति0 संख्या 6 के रकबा 2365/2/0.14 में एक ऐअर रकबा व 2365/2/0.06 में 1 ऐअर रकबा प्रति0 संख्या 7 के हिस्से में गलत रूप से दर्ज कर दिया है। जबकि मौके पर वादीगण व प्रति0 का हाल रकबा कमी बेशी न होकर साविक रिकार्ड में सही है व मौके पर भी वादीगण एवं प्रति0 का रकबा साविक के अनुसार सही है। अतः निवेदन है कि ग्राम बेढम तहसील डीग में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2316/0.24 में से रकबा 0.02 व खसरा नम्बर 2360/0.71 में से रकबा 0.08 व खसरा नम्बर 2365/0.10 में से रकबा 0.01 में से रकबा 0.01 व खसरा नम्बर 2365/2/0.14 में से रकबा 0.01 व खसरा नम्बर 2365/3/0.06 में से रकबा 0.01 हैक्टे0 के वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति0 के नाम दर्ज इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश फरमायें।

**दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर** प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 26.08.2015 को प्रति0 संख्या 9 की ओर से श्री मनोज कुमार एड0 व प्रति0 संख्या 4 लगायत 7 की ओर से श्री विनोद लवानियां एड0 ने अपने वकालतनामा पेश किये गये। दिनांक 08.03.2016 को श्री अनिल कुमार गुप्ता एड0 की ओर से वादीगण की ओर वकालतनामा पेश किया तथा प्रति0 संख्या 1,2,3 बाबजूद सूचना व तामील के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 05.10.2016 को वकील वादी ने साविक नक्शा तथा प्रति0 ने किता-4 दस्तावेज पेश किये गये जोकि शामिल पत्रावली किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
उप (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर दिनांक 30.11.2016 को निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः-

1. आया वादीगण दावे में वर्णित आराजी पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. आया वादीगण प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा पाने के अधिकारी है?
3. दादरसी?

साक्ष्य वादीगण में वादी लाल सिंह के बयान पीडब्ल्यू-1 दर्ज किये गये। दिनांक 28.06.2018 को प्रति0 संख्या 4 परताप स्वयं उपस्थित आये। प्रति0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने व साक्ष्य प्रति0 नहीं कराये जाने पर दिनांक 30.12.2021 को साक्ष्य प्रति0 बंद की गई। दिनांक 10.03.2022 को प्रति0 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. बावत साक्ष्य प्रति0 बहाल किये जाने पेश किया गया। जिस पर वकील उभय पक्ष को सुना जाकर न्यायहित में साक्ष्य प्रति0 कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई। नियत पेशी 09.05.2022 को प्रति0 के द्वारा उपस्थित होकर साक्ष्य प्रति0 हेतु समय दिये जाने का आग्रह किया गया। न्यायहित में समय दिया जाकर नियत पेशी 29.06.22, 29.08.22, को कोई साक्ष्य प्रति0 नहीं कराई गई तथा दिनांक 28.10.22 को प्रति0 की ओर से साक्ष्य प्रति0 पेश किये जाने हेतु पुनः समय चाहा गया। न्यायहित में एक मौका दिया जाकर नियत पेशी 14.12.2022 तक का समय दिया गया। दिनांक 14.12.22 को भी प्रति0 की ओर से साक्ष्य प्रति0 हेतु समय चाहा गया। जिसके उपरांत नियत पेशी 30.01.2023, 20.04.23 तक साक्ष्य प्रति0 पेश नहीं कराई गई तथा दिनांक 08.06.23 को प्रति0 स्वयं व वकील प्रति0 उपस्थित नही आये तथा साक्ष्य प्रति0 बन्द की जाकर प्रकरण को वास्ते बहस रखा गया। दावे पर दिनांक 25.02.2025 को फाईनल बहस व दिनांक 19.03.2025 को मजीद बहस सुनी गई।

हमने वादी के वादपत्र, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 के जबाव दावे,गवाह पीडब्ल्यू-1,लाल सिंह,पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड प्रदर्श-5 जमाबन्दी सम्बत 2068 से 2071 हाल खसरा नम्बर 2366/0.26, 2367/0.31, 2374/0.32, 2375/0.26 वादीगण लाल सिंह,हुकम सिंह,हेतराम पिस0 खिल्लू कॉम चमार वाहिस्सा बरावर दर्ज है। प्रदर्श-7 जमाबन्दी सम्बत 2068 से 2071 हाल खसरा नम्बर 2316/0.24 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 किशन सिंह,गोविन्दराम, चेतराम पिस0 खूबी कॉम फौजदार के नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 2360/0.7100 प्रतिवादी संख्या 4 परताप पुत्र नत्थी कॉम फौजदार के नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 2365 जिसका प्रति0 संख्या 5 लगायत 7 ने वंटवारा कर लिया है। खसरा नम्बर 2365/1 रकबा 0.10 प्रतिवादी संख्या 5 जहारिया पुत्र श्यामचरण कॉम फौजदार के नाम 2365/3 रकबा 0.06 प्रतिवादी संख्या 7 ओमवती पत्नी रामस्वरूप कॉम फौजदार के नाम प्रदर्श-1 में 2365/2 रकबा 0.14, प्रतिवादी संख्या 6 रामस्वरूप पुत्र श्यामचरण कॉम फौजदार के नाम दर्ज है।(प्रदर्श-6) प्रदर्श-9 भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार वादीगण के हाल खसरा नम्बर 2366/0.26 साविक खसरा नम्बर 2091 रकबा 1 वीघा 16

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

विस्वा, 2367/0.31 साविक खसरा नम्बर 2092 रकबा 2 वीघा, हाल खसरा नम्बर 2374/0.32 साविक खसरा नम्बर 2093 रकबा 2 वीघा 4 विस्वा हाल खसरा नम्बर 2375/0.26 साविक खसरा नम्बर 2094 रकबा 1 वीघा 18 विस्वा से बने है। प्रतिवादीगण के हाल खसरा नम्बर 2316/0.25 साविक खसरा नम्बर 2056 रकबा 1 वीघा 8 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 2360/0.71 साविक खसरा नम्बर 2083 रकवा 3 वीघा 19 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 2365 रकबा 0.30 साविक खसरा नम्बर 2090 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा से बनना प्रदर्शित है।

प्रदर्श-8, नक्शा किश्तवार हाल खसरा नम्बर 2316, 2360, 2365, 2366, 2367, 2374, 2375 है जिसमें उक्त साविक खसरा नम्बर एक दूसरे से सटे हुए है।

प्रदर्श-4, प्रमाणित फोटो प्रति सजरा किश्तवार मॉजा बैठक सम्बत 1982 मुताविक सन 1926 वादीगण के साविक खसरा नम्बर 2091, 2092, 2093, 2094 एवं प्रति0 के साविक खसरा नम्बर 2056, 2083, 2090 एक दूसरे से सटे हुए है। प्रदर्श-11, जमाबन्दी सम्बत 2023 से 2026 अनुसार साविक खसरा नम्बर 2056 रकबा 1 वीघा 8 विस्वा खूबी बल्द छाजू कॉम फौजदार सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। साविक खसरा नम्बर 2083 रकबा 3 वीघा 19विस्वा प्रताप सिंह के नाम दर्ज है। साविक खसरा नम्बर 2090 रकबा 1 वीघा 13 विस्वा श्यामचरन वल्द नारायन सिंह कॉम फौजदार के नाम दर्ज है। प्रदर्श-10 जमाबन्दी सम्बत 2030 से 2033 साविक खसरा नम्बर 2091 रकबा 1 वीघा 16 विस्वा, 2092 रकबा 2 वीघा, 2093 रकबा 2 वीघा 4 विस्वा, 2094 रकबा 1 वीघा 18 विस्वा, खिल्लू वल्द रामहेत कॉम चमार के नाम दर्ज है। प्रदर्श-3, भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 जिमसें हाल खसरा नम्बर 2360 रकबा 0.71 साविक खसरा नम्बर 2083 रकबा 3 वीघा 19 विस्वा से बनना प्रदर्शित है। हाल खसरा नम्बर 2365 रकबा 0.30 साविक खसरा नम्बर 2090 रकबा 1 वीघा 13 विस्वा से बनना प्रदर्शित है।

प्रदर्श-1,जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 हाल खसरा नम्बर 2365/1 रकबा 0.10, 2365/2,रकबा 0.14, 2365/3 रकबा 0.06 जो क्रमशः जहारिया,रामस्वरूप पुत्रगण श्यामचरन व ओमवती पत्नी रामस्वरूप के नाम दर्ज है।

प्रदर्श-2, जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 हाल खसरा नम्बर 2360 रकबा 0.71 जो परताप पुत्र नत्थी कॉम फौजदार के नाम दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः-

तनकी संख्याः-1, आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 2316/0.24 में से रकबा 0.02 व खसरा नम्बर 2360/0.71 में से रकबा 0.08 व खसरा नम्बर 2365/1/0.010 मे से रकबा 0.01 व खसरा नम्बर 2365/2 रकबा 0.14 में से रकबा 0.01 व खसरा नम्बर 2365/3 रकबा 0.06 में से रकबा 0.01 हैक्टे. में खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श-5,जमाबन्दी सम्बत 2068 से 2071 अनुसार वादीगण हाल खसरा नम्बर 2366/0.26, 2367/0.31, 2374/0.32, 2375/0.26, के खातेदार काश्तकार है जिनका कुल रकबा 115 ऐअर बनता है। प्रदर्श-9 भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2366/0.26 साविक खसरा नम्बर 2091 रकबा 1 वीघा 16 विस्वा, 2367/0.31 साविक खसरा नम्बर 2092 रकबा 2 वीघा, 2374 रकबा 0. 32 साविक खसरा नम्बर 2093 रकबा 2 वीघा 4 विस्वा से हाल हाल खसरा नम्बर 2375/0.26 साविक खसरा नम्बर 2094 रकबा 1 वीघा 18 विस्वा से मिलकर बने है। वादीगण के साविक खसरा नम्बर का कुल रकबा नवीन पैमाईश से 126 ऐअर बनता है। जबकि इन साविक खसरा नम्बर से बने हाल खसरा नम्बर का रकबा 115 ऐअर है। अर्थात वादीगण साविक खसरा नम्बर के मुकाबले 11 ऐअर रकबा भू-प्रबंध विभाग ने दौराने भू-प्रबंध कम कर दिया है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। वादीगण के हाल व साविक खसरा नम्बर से प्रतिवादीगण के प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 प्रतिवादीगण के हाल खसरा नम्बरान 2365/1 रकबा 0.10, 2365/2 रकबा 0.14, 2365/3 रकबा 0.06 प्रदर्श-2 जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 प्रतिवादीगण का हाल खसरा नम्बर 2360 रकवा 0.71 प्रदर्श-7 जमाबन्दी सम्बत 2068 से 2071 हाल खसरा नम्बर 2316 रकबा 0.24 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनका कुल रकबा 125 ऐअर बनता है। भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 प्रदर्श-9 एवं प्रदर्श-3 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2316/0.24 साविक खसरा नम्बर 2056 रकबा 1 वीघा 8 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 2360/0.71 साविक खसरा नम्बर 2083 रकबा 3 वीघा 19 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 2365/0.30 साविक खसरा नम्बर 2090 रकबा 1 वीघा 13 विस्वा से बनना प्रदर्शित है। साविक खसरा नम्बर का नवीन पैमाईश से रकबा 112ऐअर बनता है। जबकि इन साविक खसरा नम्बर से बने हाल खसरा नम्बर का रकबा 125 ऐअर दर्ज किया गया है अर्थात भू-प्रबंध विभाग ने प्रतिवादीगण के साविक खसरा नम्बर के मुकाबिले हाल खसरा नम्बर का रकबा 13 ऐअर बढा दिया है। जबकि वादीगण का 11 ऐअर रकबा भू-प्रबंध विभाग ने दौराने भू-प्रबंध कम कर दिया है। प्रदर्श-8 हाल नक्शा किश्तवार एवं प्रदर्श-4 सजरा किश्तवार सम्बत 1982 मुताविक सन 1926 वादीगण प्रतिवादीगण के हाल एवं साविक खसरा नम्बर एक दूसरे से सटे हुए है। भू-प्रबंध विभाग ने वादीगण के कमी रकवे 11 ऐअर को प्रतिवादीगण के वेशी रकवे 13 ऐअर में से कम करके दिलवाया जावे,क्योंकि दौराने भू-प्रबंध नक्शा एवं प्रविष्टियों को बदलने का भू-प्रबंध विभाग को बदलने का अधिकार नहीं था।

वादीगण ने प्रतिवादीगण के हाल आराजी खसरा नम्बर 2316/0.24 में से 0.02 व 2360/0.71 में 0.08 व 2365/1/0.10 में 0.1, 2365/2/0.14 में 0.1, 2365/3/0.06 में 0.01 रकबा कम करते हुए उक्त खसरा नम्बर से कम किये रकबे का खातेदार घोषित कराने का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादीगण हाल खसरा नम्बर 2316/0.24 साविक खसरा नम्बर 2056 रकबा 1 वीघा 8 विस्वा से बना है। तुलनात्मक रूप से साविक खसरा नम्बर का रकबा 0.22ऐअर बनता है जबकि हाल खसरा नम्बर का रकबा 0.24 ऐअर है, 2ऐअर रकबा वेशी है। हाल खसरा नम्बर 2360/0.71 साविक खसरा नम्बर 2083 रकबा 3 वीघा 19 विस्वा से बना है। जिसके खसरा नम्बर का रकबा नवीन पैमाईश से 63 ऐअर बनता है अर्थात हाल खसरा नम्बर 2360 में 8 ऐअर रकबा वेशी है। हाल खसरा नम्बर 2365/0.30 साविक खसरा नम्बर 2090 रकबा 1वीघा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

13 विस्वा से बना है। साविक खसरा नम्बर का रकबा नवीन पैमाईश से 26 ऐअर बनता है। तुलनात्मक रूप से प्रतिवादीगण के हाल खसरा नम्बर 2365/0.30 में 4 ऐअर रकबा वेशी आया है। हाल खसरा नम्बर 2365/0.30 का प्रतिवादीगण ने बंटवारा कर लिया है, 2365/1/0.10, 2365/2/0.14, 2365/3/0.06 प्रत्येक में से एक-एक ऐअर रकबा कम किये जाने का अनुतोष वादीगण ने चाहा है।

प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य नहीं कराई है और ना ही बहस की है। तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः-2, आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कराये जाने के अधिकारी है?

तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। तनकी संख्या 1 में वादीगण स्वत्व घोषणा को सिद्व करने में सफल रहे है। तनकी संख्या 2 भी विरूद्व प्रतिवादीगण वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः-3, दादरसी?

वाद खर्च उभय पक्षकार अपना अपना स्वयं वहन करें।

उपर्युक्त विवरण अनुसार हम दावा वादीगण को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

**अतः आदेश है किः-**

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 2316/0.24 में से रकबा 0.02 व खसरा नम्बर 2360/0.71 मे से रकबा 0.8 व खसरा नम्बर 2365/1/0.10 में से रकबा 0.01 व 2365/2/0.14 में से रकबा 0.01 व 2365/3 रकबा 0.06 में रकबा 0.01 हैक्टे0 वाके ग्राम बेढम तहसील डीग में स्थित आराजीयात पर वादीगण को वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादीगण का रकबा तदानुसार कलमजन किये जाने,प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें, वादीगण को वेदखल कर कब्जा नहीं करें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner